

**कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से  
स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0-3.400)**

**वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम :- गौरण  
तहसील :- धनौली, जिला टिहरी गढ़वाल।

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि 0.8775 है0 सिविल सोयम भूमि 0.0000 है0 वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात् कुल 0.8775 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौरण, द्वारा दिनांक 01-09-2015 को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



**कार्य का नाम :-जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से  
स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0-3.400)**

**वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम :- स्यालसी  
तहसील :- धनौली, जिला टिहरी गढ़वाल।

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि 0.8775 है0 सिविल सोयम भूमि 0.0000 है0 वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात् कुल 0.8775 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यालसी, द्वारा दिनांक ..... को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



**कार्य का नाम :—जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से  
स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0—3.400)**

**कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोली**  
**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण -पत्र**

**उपखण्ड स्तरीय समिति धनोली**

उपखण्ड धनोली परिक्षेत्र में राज्य योजना के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि 0.8775 है0, सिविल कुल भूमि ( 0.8775 है0 ) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोली) के दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानन्द शर्मा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री नीरज कुमार शर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री शूरवीर सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्रीमती मुन्नी देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 0.8775 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थयूड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

(2)

जानकारी कसे माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धनोल्ती परिक्षेत्र के अन्तर्गत अगलाड - थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.8775 है० वनभूमि लो०नि०वि० थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील धनोल्ती  
जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील धनोल्ती  
जनपद टिहरी गढ़वाल।



**कार्य का नाम :—जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से  
स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल०—3.400)**

**उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र**

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.8775 है० वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एस०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह ( Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
थत्यूड (टि०ग०)

अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
थत्यूड (टि०ग०)

तहसीलदार  
धनोल्ती

उपजिलाधिकारी  
धनोल्ती

**कार्य का नाम :-जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से  
स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल०-3.400)**

**जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र**

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के आर०के०के० मोटर मार्ग से हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के (लम्बाई 3.400 कि०मी०) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (आरक्षित वनभूमि 0.00 है० तथा सिविल सोयम भूमि 0.8775 है० कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 0.8775 है०) के गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं० 11-9/98-एफ०सी० दि० 05.02.13 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा - सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाइप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

कनि०अभि०  
अ०ख०, लो०नि०वि०,  
थत्यूड।

सहायक अभि०  
अ०ख०, लो०नि०वि०,  
थत्यूड।

अधिशायी अभियन्ता  
अ०ख०, लो०नि०वि०,  
थत्यूड।

तहसीलदार  
धनोल्दी

उपजिलाधिकारी  
धनोल्दी

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल नई टिहरी



**FORM-4**

(For Liner Projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector New Tehri

No .....

Dated .....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.8775** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of forest department (E.E. Try. Divi P.W.D Thatyur ) for Hanuman Mandir to Siyalsi Gouran Motor Road Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Siyalsi, Gouran village (s) in Dhanolty Tehsils. It is further certified that.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.8775** Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.
- (b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer.  
Ty.Div PWD Thatyur

Tehsildar  
Dhanolty

S.D.M.  
Dhanolty

District Collector  
Tehri Garhwal

It is Further certified that Minutes fo **Hanuman Mandir to Siyalsi Goouran Motor Road** scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.8775 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
टिहरी गढ़वाल।

समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग  
मसूरी।

(युगल किशोर पन्त)  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।



It is Further certified that Minutes fo **Hanuman Mandir to Siyalsi Goouran Motor Road** scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.8775 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
टिहरी गढ़वाल।

समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग  
मसूरी।

(युगल किशोर पन्त)  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।